

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिएं। –रोबिन शर्मा

गंभीर संकट का संकेत है ग्लोबल वार्मिंग

जलवायु परिवर्तन या यों कहे कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते मानव अस्तित्व पर आ रहे संकट की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि 2 जून की समूचे विश्व में ग्लोबल हीट एक्शन डे मनाया जाने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम तेजी से हमारे सामने आने लगे हैं। लाख प्रयासों, शिखर सम्मेलनों और संकल्पों के बावजूद पृथ्वी पर तापमान की बढ़ती दर को रोकने में हम पूरी तरह से विफल रहे हैं। 1850 से अब तक के रेकार्ड के अनुसार विश्व में अब तक का सबसे गर्म साल 2024 रहा है। वर्कले अर्थ द्वारा जारी रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि होत है कि सर्वाधिक गर्म साल 2024 रहा है। मजे की बात यह है कि यह सब तो तब है जब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वैश्विक सम्मेलन लगातार आयोजित हो रहे हैं और पृथ्वी के बढते तापमान को डेड डिग्री तक सीमित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा-सीधा अर्थ धरती के तापमान में बढ़ोतरी होना है। इस साल 2025 के ग्लोबल हीट डे की थीम रिकागनाईजिंग एण्ड रेस्पोंडिंग टू हीट स्ट्रोक रखा गया है। दुनिया के देश 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग दर को 50 प्रतिशत कम तक लाना है।

दरअसल 1896 में ही स्वीडिश मौसम विज्ञानी ने ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से चेता दिया था। 1975 में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सबसे पहली रिपोर्ट आई और 1988 में अमेरिका की सीनेट में नासा वैज्ञानिक जैम्स हेनसेन से चर्चा करते हुए आने वाले संकट को स्पष्ट कर दिया था। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आज दुनिया के देशों, समुद्र किनारे के शहरों, जंगलों की जैव विविधता और बच्चों, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोगों के सामने गंभीर संकट आ गया है। कहने का अर्थ यह है कि यह संकट किसी एक स्थान या एक नागरिक विशेष पर ना होकर समूची मानव जाति और अस्तित्व पर आ गया है। इसके दुष्परिणामों को तो इस तरह से समझा जा सकता है कि ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं, इससे समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ने लगा है। मौसम के हालात अस्पष्ट होते जा रहे हैं। गर्मी और अधिक लंबी व गर्म होती जा रही है तो मौसम चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो चरम स्थिति में होने लगा है। रेगिस्तान बढ रहा है तो जलवायु परिवर्तन या यों कहें कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते नित नए चक्रवात, तूफान, बरसात के दिन कम होने के बावजूद एक ही समय में अत्यधिक बरसात, सर्दियों में अधिक बरसात आदि सामने आ रहे हैं।

मौसम विज्ञानियों ने पहले ही चेता दिया था कि औद्योगिक क्रांति और उसके चलते हमारी जीवन शैली में बदलाव से ग्लोबल वार्मिंग के हालात बनते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे

तापमान में वृद्धि के चलते जंगलों में दावानल, समुद्र किनारों के शहरों के लिए खतरा व एक ही बरसात में बाढ़ जैसे हालात होना, आंधी तूफान के कारण जन-धन हानि और अन्य समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अभी भी समय है कि हम सजग हो जाएं और प्रकृति से खिलवाड़ कर प्रकृति को विकृति बनाने के स्थान पर प्रकृति को विकास का वाहक बनाने में उपयोग करें तो यह अधिक सकारात्मक होगा।

उपयोग और इसी तरह के अन्य वस्तुओं के उपयोग के चलते तापमान में बढ़ोतरी का कारण बनता जा रहा है। मजे की बात यह है कि आज जिसे बेहतर व उपयोगी बताया जा रहा है कुछ समय बाद ही उसे हानिकारक बताने में भी नहीं हिचका जा रहा। आज जापान आदि देशों में माइक्रोवेव ओवन या आरओ आदि के उपयोग को हानिकारक बताया जाने लगा है। पहले प्लास्टिक को बढ़ावा दिया गया और अब उसके दुष्परिणाम सामने हैं। इसी तरह से जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में ईवी वाहनों के प्रोत्साहन के साथ ही दबे स्वर में यह रिपोर्ट आने लगी है कि ईवी का भी असर तापमान बढ़ोतरी पर पड़ेगा। हालात यहां तक होने लगे हैं कि हीट स्ट्रोक के कारण लोगों की ही नहीं जानवरों की भी जान जाने लगी है।

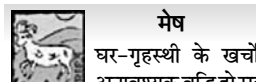
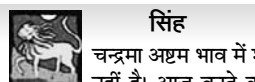
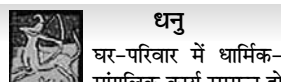
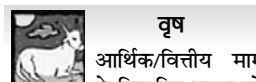
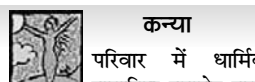
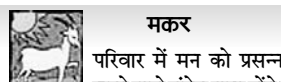
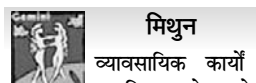
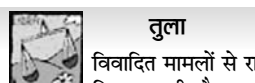
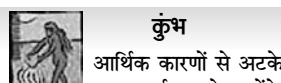
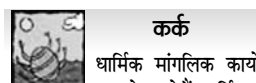
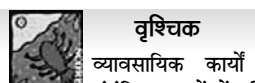
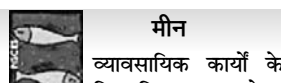
ग्लोबल हीट एक्शन डे के आयोजन के पीछे लोगों को हालात की गंभीरता से सजग करना और अत्यधिक हीटवेव से बचने के लिए सतर्क और सजग करना है। तापमान की बढ़ोतरी का इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि स्थानीय निकायों द्वारा तापमान अधिक होने पर आमनागरिकों को राहत देने के लिए सडकों पर पानी का छिड़काव करवाया जाने लगा है तो जगपुर सहित कई शहरों में सिग्नल वाले रास्तों पर गर्मी से राहत के लिए हरा पट्टा दंगा जाने लगा है। हीट एक्शन डे के माध्यम से लोगों को सजग करना, हीटवेव से बचने व सुरक्षा के उपायों खासतौर से भूखे पेट नहीं रहना, पानी व तरल पदार्थ का अधिक सेवन के साथ ही छाया में रहने और ढीले कपड़े पहने के साथ ही शरीर को ढक के रखना आदि के प्रति अवेयर करना है। आज लोगों में पशु-पक्षियों के प्रति भी संवेदनशीलता बढी है और गर्मी के चलते दाना-पानी की व्यवस्थाएं एक अभियान के रूप में की जाने लगी है। खैर यह तो व्यक्तिगत प्रयासों की बात हुई पर तापमान के चलते जंगलों में दावानल, समुद्र किनारों के शहरों के लिए खतरा व एक ही बरसात में बाढ़ जैसे हालात होना, आंधी तूफान के कारण जन-धन हानि और अन्य समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अभी भी समय है कि हम सजग हो जाएं और प्रकृति से खिलवाड़ कर प्रकृति को विकृति बनाने के स्थान पर प्रकृति को विकास का वाहक बनाने में उपयोग करें तो यह अधिक सकारात्मक होगा। इसके लिए बीट टू हीट के हैस्टैग से संदेश देने का आह्वान भी लगातार किया जा रहा है। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि अब सोचने का समय नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने का समय आ गया है और इसके लिए समग्र व ठोस प्रयास करने होंगे।

–अतिथि सम्पादक, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (वरिष्ठ लेखक)

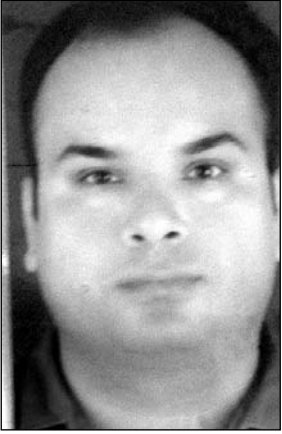


पंडित अनिल शर्मा

बोहरा अष्टमी और पंचक है। श्रेष्ठ चौधड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:20 तक, चर 10:45 से 12:28 तक, लाभ-अमृत 12:28 से 3:53 तक, शुभ 5:36 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:19

	मेघ घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।		सिंह चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आज बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा। स्वभाव की तेजी के कारण परेशानी हो सकती है। यात्रा में परेशानी हो सकती है।		धनु घर-परिवार में धार्मिक-मार्गलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।
	वृष आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।		कन्या परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। आज प्रतिष्ठित व्यक्तियों से व्यावसायिक संपर्क बन सकते हैं।		मकर परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी।
	मिथुन व्यावसायिक कार्यों को प्रभावितता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लेंगीं। आज महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।		तुला विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।		कुंभ आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लेंगे। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।
	कर्क धार्मिक मार्गलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी।		वृश्चिक व्यावसायिक कार्यों से सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है।		मीन व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-उदयपुर का सज्जनगढ़ एक सशक्त जल प्रहरी



विपुल कुमार

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में राज्य के पारंपरिक जल स्रोतों, जल संरक्षण नवाचारों एवं जल संचयन की स्थानीय पद्धतियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के परिप्रेक्ष्य में उदयपुर जिले का सज्जनगढ़ क्षेत्र जल संरक्षण के क्षेत्र में एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। झीलों की नगरी उदयपुर के प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ियों और जल स्रोतों के बीच सज्जनगढ़ का एक विशेष स्थान है। यह न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है साथ ही पर्यावरणीय संतुलन और जल संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महल का निर्माण सन् 1883 ई. में मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह (शासनकाल-1874-1884) ने बांसदरा की पहाड़ी पर करवाया था। महाराणा सज्जनसिंह ने इस महल का निर्माण मानसून के बादलों पर नजर

रखने और प्राकृतिक सौंदर्य का लुप्त उठाने लिए करवाया था लेकिन महल का निर्माण पूरा होने से पहले ही मात्र 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हीं के नाम पर इस महल को सज्जनगढ़ नाम दिया गया। किले की सुदृढ़ प्राचीर सज्जनसिंह के उत्तराधिकारी महाराणा फतहसिंह (शासन काल 1884-1930) के कार्यकाल में पूर्ण हुई। सन् 1956 में महाराणा भगवतसिंह ने यह महल जनता को समर्पित कर दिया था।

सज्जनगढ़ को मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। यह किला मूलतः खगोलीय वेधशाला बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित था लेकिन बाद में इसे वर्षा ऋतु के दौरान शाही निवास के रूप में उपयोग में लिया गया। वर्तमान में यह स्थान न केवल स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है बल्कि इसके चारों ओर फैला सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और जल संचयन प्रणाली इसे जल संरक्षण का प्रतीक बनाते हैं। सज्जनगढ़ पहाड़ी पर स्थित होने के कारण वर्षा जल संचयन के लिए उपयुक्त स्थल है।

बारिश की एक बूंद बेकार नहीं जाती :-सज्जनगढ़ न केवल उदयपुर की ऐतिहासिक पहचान है, बल्कि यह जल संरक्षण की जीवंत प्रेरणा भी है। समुद्र तल से 932.60 मीटर ऊंचाई पर निर्मित सज्जनगढ़ महल शिल्पकला, प्रकृति प्रेम और दूरदृष्टि का अनुपम उदाहरण है। महल पर गिरने वाली बूंद का हर बूंद को सहेजने का प्रबंध किया गया है। इस महल की वर्षा जल संग्रहण प्रणाली आधुनिक इंजीनियरिंग के लिए भी एक अजूबा है। महल की हर मंजिल पर गिरने वाले



वर्षा जल को उसी मंजिल की छत के भीतरी भाग पर निर्मित टंकियों में एकत्रित किया जाकर महल की दीवारों में निर्मित पाइप लाइन से भूतल पर निर्मित पानी की टंकियों में संग्रहित किया जाता था। इन टंकियों में एक लाख 95 हजार 500 लीटर वर्षा जल संग्रहित किया जाता था जो साल भर के लिए महल में रहने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरी करता था। वर्तमान में भी 140 साल पुरानी इस वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के माध्यम से जल संग्रहण किया जाता है।

सज्जनगढ़ पैलेस में वर्षा जल संचयन के लिए व्यापक व्यवस्था है। यहां एक विशाल 1.95 लाख लीटर का भूमिगत टैंक बना है जो बारिश का पानी इकट्ठा करता है। इसके अतिरिक्त पैलेस की छत पर 2,000 लीटर का एक छोटा टैंक भी है, जहां वर्षा जल

संचित किया जाता है। वन विभाग ने भी जल संरक्षण में योगदान दिया है, जिसके तहत अधिकतम वर्षा जल को भूमि में समाहित करने के लिए ट्रेंचेज (खाइयां) बनाई गई हैं। सज्जनगढ़ क्षेत्र में वर्षा जल के संग्रहण के लिए परंपरागत टांके, तालाब, पथर की बनी नालियां तथा भूमिगत जल संचयन की व्यवस्था आज भी देखी जा सकती है। किले के चारों ओर स्थित फतह सागर, पिछोला, बड़ी तालाब तथा उदय सागर जैसे जलाशय इस क्षेत्र की जल संवेदनशीलता के प्रमाण हैं।

पर्यावरणीय जागरुकता का केन्द्र :-सज्जनगढ़ क्षेत्र एक इको-सेंसिटिव ज़ोन के रूप में विकसित हो रहा है जहां वन विभाग द्वारा विभिन्न जल संरक्षण और हरियाली से जुड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल ही स्थानीय वन

विभाग और नागरिक सहभागिता से वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए गए मिट्टी के चेक डैम, स्ट्रक्चर्ड वाटर कैचमेंट एरिया और चारागाह विकास योजना इस क्षेत्र को जल संवहनीयता की दृष्टि से समृद्ध बना रहे हैं।

नवाचार और सहभागिता :- सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया गया है। वन विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक इकाइयों द्वारा यहां वर्षाजल संग्रहण, मिट्टी के बंध, चेक डैम और वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया गया है, जिससे क्षेत्रीय जल स्तर को सुदृढ़ बनाए रखने में सहायता मिली है।

विपुल कुमार, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, उदयपुर।

कृषि को बाजार के चक्रव्यूह से मुक्त कर स्वावलम्बन की ओर बढ़ना ही स्थायी समाधान



रामपाल जाट

न्याय शास्त्र के अनुसार अपराध बढ़ने पर दंड के विधान कठोर हो जाने चाहिए । अपराधी को दंडित होने पर प्रचार-प्रसार ऐसा हो कि जैसे हजारों अपराधी दंडित हो गए हो क्योंकि दंड का प्रभाव नहीं बल्कि दंड का डर ही अपराधों को नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम स्वापक औषधि मनः प्रभावी प्रदाय अधिनियम 1985 अधिनियम एवं धन शोधन निवारक अधिनियम 2022 जैसे विधानों का उपयोग इस सिद्धांत की सफलता का संकेत करते हैं। कृषि प्रधान देश में कृषि में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का अमानक होना अक्षय्य अपराध है। इसी प्रकार भारत सरकार खाद्य तेलों में पाम जैसे अखाद्य पदार्थों की मिलावट को भारतीय अपमिश्रण अधिनियम में ढील देने जैसे कदमों को तत्काल वापस लेकर मिलावटियों को संदेश देना चाहिए। ऐसे अपराधो के लिए आजीवन कारावास एवं मृत्यु दंड जैसे प्रावधान होने चाहिए।

किसी भी देश की स्वतंत्रता उसकी खाद्य सुरक्षा पर निर्भर करती है। कृषि उत्पादों का सीधा संबंध खाद्य सुरक्षा से है। इसके उपरंत भी बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968, बीज

नियंत्रण अधिनियम 1983, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कीटनाशक अधिनियम 1964, कीटनाशक नियम 1971 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 जैसे विधानों के होते हुए भी खाद, बीज एवं कीटनाशकों में मिलावट बढ़ रही है। यह मिट्टी एवं मााव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन विधानों में दंड के प्रावधान कठोर नहीं है बल्कि इनमें अधिकतम दंड का प्रावधान 3 वर्ष तक का ही है। वैसे भी इन अधिनियमों को प्रभाव में लाने के समय की परिस्थितियों में अब मूलभूत परिवर्तन हो चुका है। यदि इन्हें कालबाध्द कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी ओर इस प्रकार के मिलावट करने वालों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वे मिलावट को रोकने के लिए बनाए जाने वाले विधानों के कठोर दंड के प्रावधानो को रोकने के लिए संगठित होकर विरोध ही नहीं कर रहे बल्कि ऐसे राज्यों में कारोबार समेटने की धमकी दे रहे हैं। महाराष्ट्र राज्यने ‘महाराष्ट्र खतनाका गतिविधियों की रोकथाम विधेयक 2023 का ग्राह्रूप बनाया जिसमे ऐसे अपराधो को गैर जमानती रखकर दंड की मात्रा बढ़ोतरी के प्रावधान थे। 7 दिसंबर से नागपुर में होने वाले शीतकालीन सत्र में उन्हें पारित करने की तैयारी कर ली थी। क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्रॉप लाइफ इंडिया, पेस्टिसाइड्स मैनुयूक्चरर्स एंड फॉम्युलेटर्स ऑफ इंडिया, एगो क्रॉप फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर महाराष्ट्र से अपना कारोबार समेट लेने की धमकी दी। वर्तमान में सरकारों को निवेश आधारित विकास का भूत चढ़ा हुआ है उसी दबाव में यह विधेयक विधानसभा में भी प्रस्तुत नहीं हो सका। दूसरा उदाहरण हरियाणा सरकार का है, जिसमे बीज (हरियाणा संशोधन) एवं कीटनाशी

(हरियाणा संशोधन) विधेयको के द्वारा विधानों में संशोधन कर कारावास एवं अर्थ दंड की मात्रा में बढ़ोतरी की तो तथाकथित व्यापारियों ने हरियाणा में संगठित होकर हड़ताल आरंभ कर दी थी किंतु महाराष्ट्र की अपेक्षा हरियाणा सरकार दबाव में नहीं आई। विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद विधान के रूप में आ गए। यद्यपि इन विधानों में भी कठोर दंड का प्रावधान नहीं है।

हरियाणा में पुराने विधान के अनुसार घंटिया बीज बेचने पर 500 रूपए में अधिकतम 6 माह का कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड का प्रावधान था। संशोधित विधानों में अमानक, मिलावटी या चटिया बीज निर्माता कंपनी के लिए प्रथम बार में 2 वर्ष तक का कारावास 3,00,000 रूपए तक अर्थ दंड, दूसरे अपराध के लिए 3 वर्ष का कारावास तथा 5,00,000 रूपए तक का अर्थ दंड का प्रावधान है। इसी प्रकार विक्रेता को दोषी पाए जाने पर प्रथम बार में 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रूपए तक अर्थदंड, दूसरी बार के अपराध में 2 वर्ष तक का कारावास और 2,00,000 रूपए तक का प्रावधान है।

अर्थ दंड में 5 लाख रूपए का प्रावधान है, लाखों-करोड़ों में मिलावट के धंधे से आय उपार्जन करने वालों के लिए यह नाम मात्र का दंड है। जब सांच को आंच नहीं है तब दंड को कठोर करने से विचलन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विधानों के विरोध से ही ‘चोर की दाढ़ी में तिनका’ की कहावत चरिचाही होती है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023-24 में बीज, खाद एवं कीटनाशकों के 15,000 नमूने अमानक पाए गए। जिसमे 3,630

खाद 8,988 बीज तथा 2,222 नमूने कीटनाशकों के हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रयोगशालाओं की संख्या खाद के लिए 83, बीजों के लिए 126 तथा कीटनाशकों के लिए 74 है। जबकि देश में 806 जिलों में 140 मिलियन हेक्टर पर 14.5 करोड़ किसान कृषि कार्य करते हैं। कृषिविज्ञान केंद्र सामान्यतः प्रत्येक जिले में है किंतु सरकार द्वारा उनका उपयोग प्रयोगशाला संचालित करने के लिए नहीं करना संदेह उत्पन्न करता है। इसी प्रकार राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के के बिश्नोई ने विधानसभा में कृषि में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के परीक्षण के लिए बीज एवं उर्वरक प्रयोगशालाओं की संख्या 7-7, राज्य उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला एक ही होने की जानकारी विधानसभा में दी थी। राजस्थान में 13 फर्मों ने अमानक उर्वरक बनाने में बेच दिया, जो खेतों में खप गया, कृषि निदेशालय ने उनके विरुद्ध जांच करने में ही 2 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया। उसके उपरांत उनके अनुज्ञा पत्र निरस्त किये गये अर्थात दोषी व्यक्ति दो वर्ष तक अमानक उर्वरकों का धंधा करते रहे जिससे अमानक उर्वरक उपयोग में आते रहे हैं। ऐसे अपराध करने वालो की दण्डित होने की सम्भावना की भी अनिश्चिता है। इसी प्रकार की गतिविधिया देश के 26 राज्यों चलने की जानकारी राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मोणा ने तब दी जब वे कृषि में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का निर्माण स्वयं कर सकेगा। तब बाजार के चक्रव्यूह से कृषि क्षेत्र को मुक्ति मिल जाएगी केंद्र एवं राज्यों के कृषि मंत्रालयों की इसी दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए।

द्वारा ऐसे धंधों को रोकने की घोषणा तात्कालिक रूप से आशा का संचार करती है किंतु वास्तविकता अर्गिन परीक्षा के बाद ही सामने आएगी। कृषि में प्रयुक्त होने वाली सामग्री में ऐसे अमानक एवं घटिया उत्पादों के निर्माण एवं वितरण को रोकने के संबंध में केंद्र सरकार को विधान बनाने की शक्तियां प्राप्त है। इसीलिए अभी तक के विधान केंद्र द्वारा ही बनाए गए हैं। महाराष्ट्र एवं हरियाणा जैसे राज्य तो उन विधानों में ही संशोधन लाने का काम किया है।

स्थायी समाधान की दिशा में कृषि क्षेत्र को बाजार के चक्रव्यूह से बाहर निकालने की आवश्यकता है। क्योंकि कृषि में प्रयुक्त होने वाली सामग्री खाद, बीज, कीटनाशकों के लिए किसान पराधीनता की बेडियो में जकड़ा होने से ‘पराधीन संपनेड सुख नाही’ की स्थिति में है। जब खाद, बीज, कीटनाशक किसान अपने कृषि के लिए स्वयं तैयार करता था तब कृषि में स्वावलंबन होने से किसान अपेक्षाकृत सुखी था। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तो यह दिशा अपरिहार्य हो गई है।

भारत सरकार द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान में विज्ञान आधारित अनुसंधान शालाओं एवं खेत की दूरी को समाप्त करने की घोषणा की हुई है। इसके अनुसरण में बीज, खाद एवं कीटनाशकों की प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इससे कृषि में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का निर्माण स्वयं कर सकेगा। तब बाजार के चक्रव्यूह से कृषि क्षेत्र को मुक्ति मिल जाएगी केंद्र एवं राज्यों के कृषि मंत्रालयों की इसी दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए।

—रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत

गंगनहर में 2500 क्यूसेक पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी

■ महाराजा गंगासिंह चौक पर किसानों की महापंचायत हुई

सिंह समरा, रामस्वरूप मांशु, सोना देवी बाबरी, सतवंदर सिंह अटवाल, अवतार सिंह शंभू, उपजिला प्रमुख सुदेश मोर, कमला बिशोई, बलकण बराड़ सहित बड़ी संख्या में किसान नेता और जनप्रतिनिधि पहुंचे।

संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा है। इससे पहले मंगलवार को गुरुद्वारा सिंह सभा में प्रेस वार्ता हुई। जिसमें किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता सुधाष सहगल ने कहा कि जून में 2500 क्यूसेक पानी तय होने के बावजूद पंजाब सिर्फ 700-800 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है। यह भेदभाव है। जीकेएस के प्रदेश प्रवक्ता संतबीर सिंह मोहनपुरा ने इसे

अंतरराज्यीय जल समझौतों का उल्लंघन बताया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। समिति अध्यक्ष अमर सिंह बिशोई और संयोजक रणजीत सिंह राजू ने आरोप लगाया कि बीकानेर कैनाल की आरडी 250 से 311 तक हजारों अवैध पाइपों से पानी चोरी हो रही है। इससे टेल क्षेत्र को पानी नहीं मिल पा रहा।

वहीं किसानों के धरने के बाद अब गंगनहर में भी पानी का स्तर बढ़कर 1450 क्यूसेक तक पहुंच गया है। सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ सहित किसानों के जनप्रतिनिधियों ने भी किसानों को तय पानी देने की मांग की है। किसानों की ओर से आयोजित आज की किसान महापंचायत को निर्णायक माना जा रहा है। आज की इस महापंचायत में हजारों किसान जुट रहे हैं। किसान संगठनों ने कहा कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो

आंदोलन और तेज किया जाएगा। महापड़ाव स्थल पर प्रशासन की ओर से एसडीएम रणजीत बिजारणियां और आरपीएस बी. आदित्य वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन किसान नेताओं ने दो टुक कहा कि जब तक नहर में पुरा पानी नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। विधायक रूपिंद्र सिंह कुनर ने मंच से कहा कि प्रशासन के पास कोई निर्णायत्मक अधिकार नहीं है। विभाग के मंत्री को लाइव आकर आश्वासन देना होगा, तभी वार्ता आगे बढ़ेगी। किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि वे हमेशा बातचीत को तैयार हैं, लेकिन पहले सरकार ठोस कदम उठाए। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान जुटे हैं और आंदोलन की ओर तेज करने का निर्णय लिया गया। धरनास्थल पर भीषण गर्मी के बावजूद किसान महापड़ाव में डटे हुए हैं।